हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/3/21 पत्रावली पेश/ बनुलाल उप. वकील प्रार्थी ने प्रार्थी क्र. 1, 3, 4, 5 का वकालतनामा प्रस्तुत किया। [illegible] प्रति वकील प्रार्थी को [illegible] प्रार्थी 2, 6 के नोटिस [illegible] तामील/ [illegible] की रिपोर्ट प्रस्तुत, [illegible] बार बार [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कार्यवाही [illegible] में [illegible] [illegible] में पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 24.3.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर) 24.3.21 पत्रावली पेश/ बनुलाल उप. बहस सुनी गई। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 15.4.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर) 15.4.21 पत्रावली पेश/ बनुलाल उप. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर [illegible]	

हुकमराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	शामिल मिसल किया जाकर निस्तारण हेतु TAR को तहरीर किया पत्रावली लेकर सुनवाई हेतु बाद प्राप्त रिपोर्ट रखवें उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)

आदेश

अतः प्रार्थी को अपने खेत खसरा नबंर 967 में आने जाने के रास्ता अप्रार्थी ख.न. 967/1, 967/2 में से एवं प्रार्थी के ख.न. 967/3 में से आगे चलने वाले कटाणी क 15 फुट चौड़ा घोषित किया जाता है। जिसका कुल 11505 वर्ग फुट का प्रभावित रकबा ा की डीएलसी दर से तीन गुना प्रतिकर राशि 27483/—प्रार्थी से राजकोष में जमा करवाई उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन नजरी नक्शा में प्रार्थी के ख.न. 967 से ख.न. , 967/2 में से प्रार्थी के ख.न. 967/3 में से आगे चलने वाले कटाणी रास्ता तक 15 फुट र उक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करने हेतु तहसीलदार खींवसर को आदेश दिये जाते र प्रार्थी से अप्रार्थी के ख.न. 967/1, 967/2 की प्रभावित भूमि की प्रतिकर राशि उपरोक्ता प्रार्थी से वसुल कर प्रभावित रकबे अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को दी जानी है उक्त का प्रभावित रकबा अनुसार वितरण खातेदारों को किया जावें है इस प्रकार उक्त राशि का कर उक्त आदेश की पालना की जानी है। क्योंकि ख.न. 967/3 की खातेदारी प्रार्थी स्वंय इसलिए नजरी नक्शें में दर्शाये गए ए से बी की प्रभावित भूमि की प्रतिकर राशि किसी को भी ी जानी है मगर राजस्व रेकर्ड में नजरी नक्शे में दर्शाये गये (प्रश्नगत) रास्ता अ से सी तक कंन किया जाना है। उक्त रास्ते पर किसी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा । रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो सभी के लिए उपयोग उपभोग में काम आयेगा। उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर
उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

उक्त आदेश आज दिनांक : 15.4.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर
उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)